न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 395/2021
दायर दिनांक :– 20.09.2021

अनवान

श्री अरूण कुमार अग्रवाल पिता रामगोपाल अग्रवाल नि. इन्द्रापुरम सनसिटी गाजियाबाद

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी...............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री दीपक पंचोली, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 07.01.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम अभयपुरा प. ह. आमल्दा की आ.न. 92/3 रकबा 3.6720 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। जो वर्तमान में राजस्व व भू. अभिलेखो में भूरी पत्नि गोपाल सिंह दरोगा, महेन्द्र, महावीर, राजू, लाड, शंकर, सम्पत पिता गोपाल सिंह दरोगा व सांवरिया पिता भवानी सिंह दरोगा के नाम पर है जिसे प्रार्थी ने दिनांक 01.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हैं तथा इसी प्रकार आराजी सं. 92/4 रकबा 3. 6612 हैक्टर जो वर्तमान में भैरूलाल पुत्र जगरूप गुर्जर कृषि भूमि स्थित हैं। जिसे प्रार्थी ने दिनांक 27.11.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हैं आराजी सं. 92/3 व 92/4 क्रय किये जाने बाद से प्रार्थी के स्वामित्व का हक अधिकार भूमि में निहित हैं वर्तमान समय में दोनो आराजी पर प्रार्थी ही लगातार काबिज होकर काश्त कर जीवनयापन कर रहा हे। दिनांक 07.09.2021 को कृषि साख ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थी पटवार हल्का आमल्दा से नकल नक्शा प्राप्त करने गये तो पता चला कि उक्त वर्णित प्रार्थी की आराजी का अंकन राजस्व मानचित्र में गलत हैं इस पर प्रार्थी ने जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल व मौके पर कब्जे के आधार पर उक्त आराजी को राजस्व मानचित्र में दर्ज करवाने वास्ते तहसीलदार जहाजपुर के यहां एक आवेदन तरमीम हेतु पेश किया किन्तु उन्होने इस संबध में कोई कार्यवाही नही की और कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ।। उक्त दोनो आराजियात में प्रार्थी वर्तमान में जमाबन्दी में उल्लेखित क्षेत्रफल पर मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर काश्त कर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

रहा है। इसलिए प्रार्थी के कब्जे के अनुसार व जमाबंदी में उल्लेखित क्षेत्रफल के आधार पर उक्त दोनो रकबो को राजस्व एवं भू मानचित्र में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में जिस पर प्रार्थी काबिज होकर लगातार निर्बाध रूप से काश्त कर जीवन यापन कर रहा है उक्त आराजी सं. 92/3 रकबा 3.6720 हैक्टर एवं आरजी सं. 92/4 रकबा 3.6612 हैक्टर में प्रार्थी के मौके पर कब्जे व रिकार्ड जमाबंदी मे उल्लेखित क्षेत्रफल के अनुसार राजस्व मानचित्र में सही तरमीम किये जाने की आज्ञा तहसीलदार जहाजपुर को प्रदान कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर कि तरफ से पत्र क्रमांक 2217 दिनांक 15.12.2021 से मौके एव रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट में बताया की ग्राम अभयरपुरा की जमाबन्दी संवत 2074–77 की खाता संख्या 78 में खसरा नं. 92/3 रकबा 3.6720 हैक्टर जो कि खातेदार भूरी देवी पत्नि गोपाल सिंह, महावीर, राजू, शंकर, सम्पत, सांवरियालाल पिता गोपाल सिंह, लाड पुत्री गोपाल सिंह दरोगा के नाम दर्ज है। तथा ग्राम अभयपुरा की जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता सं. 57 में खसरा नं. 92/4 रकबा 3.6612 हैक्टर खातेदार भैरूलाल पुत्र जगरूप गुर्जर सा. चावण्डिया/जस्सु जी का खेडा के नाम दर्ज है। तथा ग्राम अभयपुरा की जमाबन्दी के खाता सं. 22 के खसरा 92/2 रकबा 4.7533 हैक्टर है जो कि खातेदार घीसालाल पिता भूरालाल, निर्मला पत्नि चन्द्रप्रकाश, निर्मला पत्नि महेन्द्र कुमार महाजन, भोजा बागमल रामलाल पिता उदा धन्नी पुत्री उदा, प्रभु इन्द्रा पिता मगन लाल राधा पत्नि मगनलाल गुर्जर नि. बागूदार के नाम दर्ज है। ख.न. 92/3 तथा 92/4 की तरमीम कम है। राजस्व नक्शा लट्टा से रकबा बराबरी क्षेत्रफल निकालने निम्नानुसार है। खसरा नम्बर 92/2 रकबा 30–10 बीघा, खसरा नम्बर 92/3 रकबा 13–18 बीघा, खसरा नम्बर 92/4 रकबा 11–11 बीघा। इस प्रकार खसरा नम्बर 92/3 में से 3–02 बीघा 0.6696 हैक्टर रकबा कम है। खसरा नम्बर 92/4 में से 5–08 बीघा 1.1664 हैक्टर रकबा कम है। अतः खसरा नं. 92/3, 92/4 का कमी रकबा की खसरा नं. 92/2 में से नक्शा खसरा नं. 92/2 का रकबा नक्शा तरमीम में 8–10 बीघा अधिक है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 खाता सं. 57, नकल जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 खाता सं. 78, नक्शा ट्रेस की प्रति, दोनो विक्रय पत्र की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की खसरा नम्बर 92/3 रकबा 3.6720 हैक्टर (17–00 बीघा) में से 0.6696 हैक्टर (3–02 बीघा) रकबा राजस्व नक्शे में तरमीम कम है। खसरा नम्बर 92/4 रकबा 3.6612 हैक्टर (16–19 बीघा) में से 1.1664 हैक्टर (5–08 बीघा) रकबा राजस्व नक्शे में तरमीम कम है। तथा खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

92/2 रकबा 4.7533 हैक्टर (22–00 बीघा) में से 1.8360 हैक्टर (8–10 बीघा) रकबा राजस्व नक्शे में तरमीम अधिक है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट से होती है। जिससे खसरा नम्बर 92/2 रकबा 4.7533 हैक्टर (22–00 बीघा) में अधिक तरमीम होने से अधिक रकबा 1.8360 हैक्टर (8–10 बीघा) को आराजी नं. 92/2 से कम करते हुए खसरा नम्बर 92/3 रकबा 0.6696 हैक्टर (3–02 बीघा) तथा खसरा नम्बर 92/4 रकबा 1.1664 हैक्टर (5–08 बीघा) में रकबा दुरूस्त करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम संशोधन किया जाना उचित है। जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अभयपुरा प. ह. आमल्दा की आ.न. 92/3 रकबा 3.6720 हैक्टर तथा ग्राम अभयपुरा प. ह. आमल्दा की आराजी न. 92/4 रकबा 3.6612 हैक्टर में पूर्व तरमीम को विलोपित की जाकर प्रार्थी के मौके पर कब्जे व रिकार्ड (जमावन्दी में उल्लेखित क्षेत्रफल) अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner